जैण्डर संवेदनशील बजटिंग–

जैण्डर की अवधारणा एवं विकास

महिला विकास और सशक्तिकरण हेतु अभी तक महिलाओं के हित के लिए जितने भी कार्यक्रम बनाए गए हैं या उनके लिए कार्यक्रमों में पृथक से विशेष प्रावधान किए गए हैं, उनका महिलाओं की स्थिति पर कोई सार्थक प्रभाव नहीं पड़ा है। नवीन अवधारणा के अनुसार बजट का आवंटन वर्ग आधारित होने की अपेक्षा जैण्डर आधारित होना अधिक महत्वपूर्ण और सार्थक है ताकि सभी वर्गो को समान रूप से विकास का लाभ मिल सकें।

इस अवधारणा को सुदृढ आधार देने के ध्येय से वर्ष 2009–10 में विशेष प्रयास किये गये जिससे कि विभिन्न विभागों के बजट को जैण्डर आधारित बनाया जा सकें। इस हेतु माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा बजट घोषणा वर्ष 2009–10 में महिलाओं से संबंधित योजनाओं के क्रियान्वयन की मोनिटरिंग करने के लिए जैण्डर रेस्पोन्सिव बजट बनाने का निर्णय लिया गया जिसके अन्तर्गत प्रत्येक विभाग के बजट का जैण्डर आधारित विश्लेषण संभव हो सकेगा। मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन दिनांक 28.08.2009 को किया गया है जिसमें प्रमुख शासन सचिव, वित, प्रमुख शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, एवं प्रमुख शासन सचिव आयोजना विभाग सदस्य है। आयुक्त एवं सचिव, महिला अधिकारिता इस समिति की सदस्य सचिव है। वर्ष 2009–10 के अन्तर्गत उपरोक्त सोच को और अग्रसर करने के क्रम में राज्य के बजट को जैण्डरोन्मुखी बनाने के उद्देश्य से महिला अधिकारिता विभाग में जैण्डर प्रकोष्ठ की स्थापना की गई है।

उच्च स्तरीय समिति की प्रथम बैठक दिनांक 22.10.2009 को आयोजित की गई। बैठक में लिये गये निर्णयानुसार पशुपालन विभाग, कृषि विभाग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभागों का जैण्डर आधारित बजट बनाने के उद्देश्य से जैण्डर सेल स्थापित करने के निर्देश दिये गये। आयोजना विभाग द्वारा वित विभाग एवं संबंधित विभागों से विचार विमर्श उपरान्त निर्धारित प्रपत्र में विभागों की सूचना प्राप्त की गई जिसके आधार पर कृषि विभाग एवं शिक्षा विभाग के बजट की जैण्डर आधारित समीक्षा हेतु दिनांक 16.03.2010 को मिटिंग आयोजित हुई एवं दिनांक 30.04.2010 एवं 21.01.2011 को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, पशुपालन विभाग, समेकित बाल विकास सेवाएं, ग्रामीण एवं पंचायती राज विभागों की उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई। राज्य सरकार जैण्डर रेस्पोन्सिव बजटिंग को एक संस्थात्मक रूप देने पर विचार कर रही है ताकि समय–समय पर संबंधित विभागों को सही दिशा–निर्देश दिए जा सके। राज्य सरकार द्वारा जैण्डर संवेदनशील बजटिंग की ओर निरन्तर प्रयास किए जा रहे है।

पूर्व वर्ष 2005–06 में 6 विभागों यथा– स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, महिला एवं बाल विकास, मुद्रांक एवं पंजीयन तथा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के बजट का आंकलन करवाये जाने का निर्णय लिया गया। तत्पश्चात वर्ष 2006–07 में 8 और विभागों यथा ग्रामीण विकास, स्वायत शासन, जनजाति क्षैत्र विभाग, उधोग विभाग, सहकारिता विभाग, वन विभाग, पशुपालन एवं उधान विभाग के बजट का जैण्डर आधारित अंकेक्षण किया गया। इस प्रकार 14 विभागों का जैण्डर आधारित विश्लैषण मूल्यांकन विभाग द्वारा किया गया है।

इसके अतिरिक्त जिलों में बनाई जाने वाली जिला योजना में जैण्डर सब प्लान सम्मिलित करने के ध्येय से प्रयोगात्मक रूप में वर्ष 2009–10 में जिला पाली एवं अजमेर में जैण्डर सब प्लान तैयार करवाया गया। जैण्डर संवेदनशील बजट की अवधारणा को विकसित करने तथा प्रावधानों को सभी विभागों में लागू करने हेतू प्रशिक्षण एवं कार्यशालाएं भी आयोजित की जाती रही है।

वर्ष 2010–11 से सभी विभागों में जैण्डर डेस्क की स्थापना एवं नोडल ऑफिसर नियुक्त किये जा रहे है ताकि जैण्डर संबंधित विषयों हेतु विभागों में जैण्डर डेस्क एक फोकल पॉईन्ट के रूप में कार्य कर सकें।

जैण्डर प्रकोष्ठ के कार्य एवं उद्देश्य

अ– (i)जैण्डर रेस्पोन्सिव बजटिंग

1. विभिन्न विभागों के बजट प्रावधानों को संकलित कर जैण्डर दृष्टिकोंण के आधार पर विश्लेषण करना
2. विभिन्न विभागों की योजनाओं में उन क्षैत्रों को ज्ञात कर चिन्हित करना जिनमें जैण्डर रेस्पोन्सिव बजटिंग (GRB) पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है एवं विभागों को अपने उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु उन चिन्हित क्षैत्रों के लिए बजट आवंटित करने में सहायता प्रदान करना
3. विभागों द्वारा क्रियान्विति की जाने वाली योजनाओं/कार्यक्रमों की जैण्डर आवश्यकता एवं उपयोगिता को सुनिश्चित करने हेतु समीक्षा करना।
4. विभिन्न विभागों में जैण्डर प्रकोष्ठ की स्थापना करना तथा इस प्रकोष्ठ के अधिकारियों/कर्मचारियों को जैण्डर रेस्पान्सिव बजट (GRB) एवं जैण्डर संबंधित प्रशिक्षण प्रदान करवाना ताकि विभागों में उक्त प्रकोष्ठ, महिलाओं से संबंधित विषयों के लिए केन्द्र के रूप में कार्य कर सकें।
5. जैण्डर रेस्पान्सिव बजट (GRB) बनाने में तकनिकों को विकसित कर विभिन्न विभागों को तकनिकी सहायता उपलब्ध कराना।
6. जैण्डर रेस्पान्सिव बजट (GRB) तथा जैण्डर से संबंधित मुद्दों पर प्रशिक्षण।
7. जैण्डर रेस्पान्सिव बजट (GRB) तथा जैण्डर से संबंधित विषयों पर अनुसंधान/डॉक्यूमेन्टिशन को प्रोत्साहन देना।
8. विभिन्न विभागों के लिंग आधारित सांख्यिकी आकड़ों का संकलन एवं विश्लेषण में विभागों की सहायता करना।

अ– (ii) प्रयास

1. राज्य सरकार द्वारा जैण्डर संवेदनशील बजट को सभी विभागों में लागू कर संस्थागत रूप देने के उद्देश्य से जैण्डर बजट स्टेटमेन्ट एवं जैण्डर संवेदनशील बजट को राज्य की एकीकृत वित्तीय प्रबंध प्रणाली(IFMS) में सम्मिलित करने एवं जैण्डर प्रकोष्ठ द्वारा तैयार प्रोफार्मा 11 को जैण्डर बजट स्टेटमेंट बनाने हंतु संस्थापित किया जा चुका है। वित्तीय वर्ष 2016–17 में 120 बी.एफ.सी. यूनिट्स का जैण्डर बजट स्टेटमेंट तैयार किया गया।
2. अब तक 94 विभागों में जैण्डर डेस्क की स्थापना एवं नोडल ऑफिसर नियुक्त किये जा चुके है ताकि जैण्डर संबंधित विषयों हेतु विभागों में जैण्डर डेस्क एक फोकल पॉईन्ट के रूप में कार्य कर सके। जैण्डर डेस्क एवं नोडल अधिकारियों के सबलीकरण हेतु निदेशालय स्तर पर वित्तीय वर्ष 2016–17 में 2 कार्यशालाएं (क्रमशः दिनांक 26.09.2016 एवं 07.11.2016 को) आयोजित की गई।

- जिलों के कार्यक्रम अधिकारियों को जैण्डर रेस्पोन्सिव बजटिंग एवं जैण्डर बजट स्टेटमेंट विषय पर प्रशिक्षण हेतु निदेशालय में एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई।
- जैण्डर बजट स्टेटमेंट की अवधारणा को विकसित करने हेतु जिला स्तर पर आमुखीकरण कार्यशालाएं लगातार आयोजित करवाई जा रही है। वर्ष 2016–17 में 17 जिलों में कार्यशालाओं का आयोजन किया गया।
- राज्य के विभिन्न विभागों द्वारा महिलाओं एवं बालिकाओं के सशक्तिकरण एवं लाभांवित करने के उद्देश्य से क्रियान्वित की जा रही योजनाओं के विवरण (आवेदन प्रपत्र, सम्पर्क सूत्र एवं पात्रता के आधार इत्यादि) का संकलन करके जैण्डर प्रकोष्ठ द्वारा प्रकाशित कर विभिन्न विभागों को एवं जिला स्तर पर उपलब्ध करवाया गया ताकि जन सामान्य तक सुगम रूप में एक साथ सभी योजनाओं की जानकारी सुलभ हो सके।
- महिलाओं/बालिकाओं के लिए कल्याणकारी सरकारी योजना शीर्षक से एक लघु पुस्तिका एवं जैण्डर रेस्पोन्सिव बजटिंग विषय पर (एक संक्षिप्त परिचय) लिफलेट(ब्रोशर) का प्रकाशन भी जैण्डर प्रकोष्ठ द्वारा किया जाकर जिलों में कार्यक्रम अधिकारियों के माध्यम से उपलब्ध कराया गया।

- राजस्थान सरकार व यू.एन. वीमन ऑफिस फार भारत, भूटान मालदीव एवं श्री लंका, नई दिल्ली के मध्य दिनांक 14 सितम्बर, 2016 को एक एमओयू पर सम्पादित किया गया जिसके तहत जेण्डर संबंधी मुददों एवं लैंगिक समानता की योजनाओं को बजट प्रावधानों में सम्मिलित करने, महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अत्याचारों को रोकने हेतु बनाई गई नीतियों व कानूनों के कार्यान्वयन को मजबूत बनाने तथा आर्थिक सशक्तिकरण हेतु महिलाओं को दिये जाने वाले अवसरों व संसाधनों में वृद्धि करने के लिए यू. एन. विमन, नई दिल्ली द्वारा जैण्डर संवेदी बजट हेतु तकनीकी एवं परामर्शदाता(कंसलटेंट) की सेवाएं इस विभाग को दी जावेगी साथ ही महिला सलाह एवं सुरक्षा केन्द्र व अपराजिता हेतु डॉक्यूमेन्टेशन कार्य एवं राज्य में गत 10 वर्षो में जैण्डर संवेदी बजटिंग के इम्पेक्ट असेसमेंट का भी यू.एन. वीमन के माध्यम से कराया जा रहा है।